रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102023-249470
CG-DL-E-16102023-249470

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 16, 2023/आश्विन 24, 1945
No. 587] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 2023/ASVINA 24, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 740(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 195 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर संशोधन (पच्चीसवां संशोधन), नियम, 2023 है।

(2) ये 1 जनवरी, 2024 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 37खख में,—

(क) उपनियम (3) में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(iक) विप्रेषण, धारा 80ठक की उपधारा (1क) में, निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की यूनिट द्वारा किया गया है; या ";

(ख) उपनियम (4) में, —

(I) खंड (i) में, "प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात् "या महानिदेशक आयकर (प्रणाली)" शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(II) खंड (ii) में, "प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात् "या महानिदेशक आयकर (प्रणाली)" शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपनियम (6) में, "प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात् "या महानिदेशक आयकर (प्रणाली)" शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(7) वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए उपनियम (1), (2) और उपनियम (3) में निर्दिष्ट सभी विप्रेषणों के संबंध में एक त्रैमासिक विवरण, —

(i) प्राधिकृत व्यौहारी द्वारा प्ररूप सं. 15गग में;

(ii) धारा 80ठक की उपधारा (1क) में, निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की यूनिट द्वारा, जो किसी अनिवासी को जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, प्ररूप सं. 15गघ में,

प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) को या प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, उपनियम (8) के अधीन प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) के द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूपविधान और मानकों के अनुसार वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे विवरण संबंधित है की तिमाही की समाप्ति से पंद्रह दिन के भीतर डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रॉनिकी रूप में प्रस्तुत करेगा ।";

(ङ) उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(8) प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली), प्ररूप सं. 15गक, प्ररूप सं. 15गख, प्ररूप सं. 15गग और प्ररूप सं. 15गघ को प्रस्तुत करने और सत्यापन के प्रयोजन हेतु प्रक्रियाएं, रूपविधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (4), (6) तथा उपनियम (7) के उपबंधों के अनुसार सूचना, प्रमाणपत्र और त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने या सत्यापन करने के संबंध में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।";

(च) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

'स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "प्राधिकृत व्यौहारी" से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999का 42) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन कोई प्राधिकृत व्यौहारी के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ii) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ होगा जो उसे विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में दिया गया है ;

(iii) "यूनिट" का वही अर्थ होगा जो उसे विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में दिया गया है।'।

3. मूल नियम के परिशिष्ट-2 में, प्ररूप सं. 15गग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. 15गघ

(नियम 37खख देखें)

[ई-प्ररूप]

धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की एक यूनिट द्वारा .... (वित्त वर्ष) के..................... तिमाही के लिए विप्रेषण के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाला त्रैमासिक विवरण

1. यूनिट का नाम:...
2. यूनिट का स्थायी खाता सं.:...
3. यूनिट का कर कटौती/संग्रहण खाता सं:..
4. यूनिट की प्रास्थिति:...
5. यूनिट की आवासीय प्रास्थिति:..
6. यूनिट का पूरा पता, ई-मेल तथा फोन नं.:..
7. किए गए विप्रेषण का ब्यौरा:

क्र. सं.	विप्रेषक का ब्यौरा, यदि उपरोक्त 1 में निर्दिष्ट यूनिट से भिन्न है		विप्रेषिती का नाम	विप्रेषिती का स्थायी खाता सं.# या आधार सं.#	विप्रेषिती का पूरा पता, ई-मेल# और फोन नं.#	देश जिसका विप्रेषिती निवासी है#	देश जिसको विप्रेषण किया जाना है		विप्रेषण की तारीख	विप्रेषण की रकम		विप्रेषण की प्रकृति	आरबीआई के अनुसार प्रयोजन कोड $
	विप्रेषक का नाम	विप्रेषक का स्थायी खाता सं.					देश	मुद्रा		विदेशी मुद्रा में	भारतीय रुपए में		

सत्यापन

मैं,.....................(पूरा नाम), पुत्र/पुत्री..................................सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

और/या

(उस दशा में लागू होगा जहां 1 में निर्दिष्ट यूनिट विप्रेषक है)

मैं/हम,*...........................(पूरा नाम),पुत्र/पुत्री................................, ...(पदनाम) की हैसियत से सत्यनिष्ठा से घोषणा करते है कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे* सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छुपाई नहीं गई है। उस मामले में जहां यह पाया गया है कि विप्रेषण की रकम पर वास्तविक रूप

से कटौती योग्य कर की कटौती नहीं हुई है या कटौती के पश्चात् संदत्त नहीं हुआ है या पूर्ण रूप से संदत्त नहीं हुआ है, यथास्थिति, मैं/हम* वचनबंध करते हैं कि न हुई कटौती या न संदत्त हुए कर की रकम का संदाय करेंगे, देय ब्याज के साथ। मैं/हम* आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार उक्त व्यतिक्रम के लिए शास्ती के उपबंध के अधीन भी होंगे।

मैं/हम* आयकर प्राधिकारियों को, उपरोक्त विप्रेषण के प्राप्तकर्ता की प्रकृति और आय की रकम का अवधारण करने में समर्थ करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में मेरे या हमारे दायित्व को अवधारित करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का और बचनबंध करता/करते* हैं।

स्थान: हस्ताक्षर:..

तारीख नाम और पदनाम:...............................

#यदि उपलब्ध हो

$यदि लागू हो

*जो लागू नहीं हो लोप कर दे"।

[अधिसूचना सं. 89 /2023/फा.सं. 370142/36/2023-टीपीएल]

सौरभ जैन अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं सा.का.नि 728(अ) तारीख 10 अक्तूबर, 2023 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2023

G.S.R. 740(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 195 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Income-tax Amendment (Twenty-fifth Amendment), Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of January, 2024.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 37BB,–

(a) in sub-rule (3), after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ia) the remittance is made by a Unit of an International Financial Services Centre referred to in sub-section (1A) of section 80LA; or";

(b) in sub-rule (4),–

(I) in clause (i), after the words and brackets "Principal Director General of Income-tax (Systems)", the words and brackets "or the Director General of Income-tax (Systems)" shall be inserted;

(II) in clause (ii), after the words and brackets "Principal Director General of Income-tax (Systems)", the words and brackets "or the Director General of Income-tax (Systems)" shall be inserted;

(c) in sub-rule (6), after the words and brackets "Principal Director General of Income-tax (Systems)", the words and brackets "or the Director General of Income-tax (Systems)" shall be inserted;

(d) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) A quarterly statement, for each quarter of the financial year shall be furnished in respect of all remittances referred to in sub-rules (1), (2) and sub-rule (3) by,–

(i) the authorised dealer in Form No. 15CC;

(ii) a Unit of an International Financial Services Centre referred to in sub-section (1A) of section 80LA, responsible for paying to a non-resident, not being a company, or to a foreign company, in Form No. 15CD,

to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) electronically under digital signature within fifteen days from the end of the quarter of the financial year to which such statement relates in accordance with the procedures, formats and standards specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) under sub-rule (8).";

(e) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for the purposes of furnishing and verification of Form No. 15CA, Form No. 15CB, Form No. 15CC and Form No. 15CD and shall be responsible for the day-to-day administration in relation to the furnishing and verification of information, certificate and quarterly statement in accordance with the provisions of sub-rules (4), (6) and sub-rule (7).";

(f) for the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted, namely:-

'*Explanation*.— For the purposes of this rule,–

(i) "authorised dealer" means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(ii) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*q*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(iii) "Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*zc*) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).'.

3. In the principal rules, in Appendix-II, after Form No. 15CC, the following Form shall be inserted, namely:-

"Form No. 15CD

(See rule 37BB)

[e-Form]

Quarterly statement to be furnished by a unit of an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA, in respect of remittances, made for the quarter of ………….. of ………. (Financial Year)

1. Name of the Unit:……………………………………………………………………………………….

2. Permanent account number of the Unit:…………………………………………......................................

3. Tax deduction/collection account number of the Unit:……………………………………………….

4. Status of the Unit:………………………………………………………………………………………..

5. Residential status of the Unit:……………………………………………………………………………

6. Complete address, email and phone number of the Unit:……………………………………………...

7. Details of remittances made:

Sl. No.	Details of the remitter, if different from the Unit referred in 1 above		Name of the remittee	Permanent account number# or Aadhar# Number of the remittee	Complete address, email# and phone number# of the remittee	Country of which the remittee is resident#	Country to which remittance is made		Date of remittance	Amount of remittance		Nature of remittance	Purpose Code as per RBI$
	Name of the remitter	Permanent account number of the remitter					Country	Currency		In foreign Currency	In Indian Rs.		

Verification

I, _____________ (full name in block letters), son/daughter of ………………. solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given above are correct and complete.

and/or

(applicable in case where the Unit referred in 1 is the remitter)

I/We*, _____________ (full name in block letters), son/daughter of _____________in the capacity of _____________(designation) solemnly declare that the information given above is true to the best of my/our* knowledge and belief and no relevant information has been concealed. In a case where it is found that the tax actually deductible on the amount of remittance has not been deducted or after deduction has not been paid or not paid in full, I/We* undertake to pay the amount of tax not deducted or not paid, as the case may be, along with the interest due. I/We* shall also be subject to the provision of penalty for the said default as per the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I/We* further undertake to submit the requisite documents for enabling the income-tax authorities to determine the nature and amount of income of the recipient of the above remittance as well as documents required for determining my/our* liability under the Income-tax Act as a person responsible for deduction of tax at source.

Place: Signature: ……………………………

Date: Name and Designation: …………………

If available

$ If applicable

* Delete whichever is not applicable".

[Notification No. 89 /2023/ F.No.370142/36/2023-TPL]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Note. -The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 728(E), dated 10th October, 2023.

SAG INFOTECH
service begins here....

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. AMIT KUMAR JAISWAL